

—:समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर:—

(केम्प भोपाल)

दिनांक - 27 89-803216



31-8/16
श्रीमान् राजस्व मंडल
ग्वालियर
2016
04210321
03

बुधिया बाई पत्नि स्व. घुडियालाल मेहरा उम्र लगभग 80 वर्ष
निवासी न्यू जनता स्कूल के सामने शंकर मंदिर वार्ड नं. 17
आसफाबाद इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद म.प्र.

.....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका

बनाम

1. तारासिंह मेहरा आ. स्व. बाबूलाल मेहरा उम्र-32 वर्ष धंधा काश्तकारी
2. टीकाराम मेहरा आ. स्व. बाबूलाल मेहरा धंधा उम्र-38 वर्ष काश्तकारी
3. श्रीमति सरजूबाई मेहरा बेवा स्व. श्री पन्नालाल मेहरा, उम्र-75 वर्ष गृणिगी
4. प्रेम मेहरा आ. स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-45 वर्ष व्यय. काश्तकारी
5. रम्मू मेहरा आ.स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-30 वर्ष व्यय. काश्तकारी
6. जयसिंह मेहरा आ. स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-28 वर्ष व्यय. काश्तकारी
7. टिल्लू उर्फ अतरसिंह मेहरा आ.स्व. पन्नालाल उम्र-35वर्ष मेहरा व्यय. काश्तकारी
8. मोटा उर्फ पुरुषोत्तम मेहरा आ. स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-28 वर्ष
9. राजाराम मेहरा आ. स्व. पन्नालाल मेहरा उम्र-27 वर्ष

सभी निवासी ग्राम नगवाडा पो0-गनेरा थाना व तहसील बाबई

जिला-होशंगाबाद म.प्र.

.....उत्तरवादी / अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता बुधियाबाई सविनय निवेदन करती है कि :-

1- पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका माननीय निम्न राजस्व न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय बाबई तहसील बाबई जिला होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 92ए-6 वर्ष 2013-14 ग्राम नगवाडा जिराके की पक्षकार बुधियाबाई बनाम तारासिंह बगैरा है। मैं दिनांक 22-08-2016 को पारित आदेश से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है।



दि. 27/8/16
बुधिया बाबाई

(18)

(2)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

R 2989- PBR/16
प्रकरण क्रमांक

भाग-अ

लक्ष्मीबाई
तहसील

विरुद्ध

लाला लाल गुप्त
तहसील

जिला

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

अनुविभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक

तहसील का प्रकरण क्रमांक

वाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>तहसील लाल गुप्त</p> <p>आयुक्त संभाग - जिलाध्यक्ष, जिला</p> <p>के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक 22-8-16</p> <p>के विरुद्ध श्री लाल गुप्त गुप्त</p> <p>के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।</p> <p>पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है</p> <p>रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/ पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।</p>	<p>NRF</p> <p>2/9/16</p> <p>लाल गुप्त</p>
2.9.2016	<p>प्रस्तुतकार</p> <p>अवेरिका बी ओर से श्री अशोक गुप्ता आभिभावक उपायिका। गांधीवा पा. सुना गया। तहसीलवा को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आगामी पेशी पर अवेरिका</p>	<p>लाल गुप्त</p>

lho

[पीछे देखिये]

कुदिया वरिष्ठ तारीख
R 27 89 PBR/16 होशियार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभूतों आदि के हस्ताक्षर
	<p>के प्रति-परीक्षण का अवसर उपलब्ध कराये। प्रकाश इसी निर्देश के साथ समाप्त किया जाता है।</p> <p>अध्यक्ष</p>	